

नांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयलस जज

हुकम
ने र

5-23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 9-6-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक जलक्टर माण्डल

6
23

पत्रावली महंगाई राहत कैम्प ऐप प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत लेसवा में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम लो।

हुकमीचर रोहलानिया \

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

र व तारी
नाम जो
की तारी
जारी हु

राजस्थान - सरकार

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 67/23 प्र।०प्र

1- श्री गोपीदा० श्री रामा लुंठर निवासी-लेसवा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री नारायण दा० श्री भोगीलाल जाट निवासी-नाहरगढ़, लेसवा त० माण्डल (वर्गार)
(पृष्ठंकित प्र।०प्र। सत्तंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:- 21-06-23

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० पृष्ठंकित पिद्वे प्र।०प्र। कुल किता 11 रकबा हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-5-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न० 2124, 2124, 2432, 2426, 2433, 2434, 2435, 2423, 2425, 2427, 2428 कुल किता 11 रकबा 3.3268 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 1900 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023